संख्या– 608 /XXVIII-4-2019-19/2017

प्रेषक,

डॉ0 पंकज कुमार पाण्डेय,
सचिव (प्रभारी)
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, विद्यालयी शिक्षा/उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा/गृह/पंचायती राज/शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. मण्डलायुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
3. खाद्य सुरक्षा आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. निदेशक, चिकित्सा शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड
7. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तराखण्ड।

चिकित्सा अनुभाग–4 देहरादून : दिनांक 13 अगस्त, 2019

विषय– "तम्बाकू मुक्त शैक्षिक संस्थानों के लिए पुनरीक्षित दिशानिर्देशिका" का अनुपालन सुनिशिचित किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार का पत्र संख्या–P.16012/16/2017-TC, दिनांक 11.06.2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा सिगरेट तथा अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिबन्ध और व्यापार एवं वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 (2003 का 34) की धारा 6 के प्रभावी कियान्वयन सुनिश्चित किये जाने और कमजोर आबादी, विशेष रूप से छोटे बच्चों को तंबाकू सेवन के जोखिम से बचाने के लिए "तम्बाकू मुक्त शैक्षिक संस्थानों" के लिए पुनरीक्षित दिशानिर्देशिका निर्गत की गयी है।

2– अतः भारत सरकार द्वारा निर्गत "तम्बाकू मुक्त शैक्षिक संस्थानों के लिए पुनरीक्षित दिशानिर्देशिका" (Guidelines) की प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त पुनरीक्षित दिशानिर्देशिका में उल्लिखित प्राविधानों/दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए उक्त के प्रभावी कियान्वयन हेतु अपने अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों को भी निर्देशित करने का कष्ट करें।

सलंग्नक : यथोक्त।

NTCP
c MCD
8.19

भवदीय,

(डॉ0 पंकज कुमार पाण्डेय)
सचिव (प्रभारी)

(2497)
DIR(NHM)
21/8/19

मिशन निदेशक, एन.एच.एम. उत्तराखण्ड कार्यालय
प्राप्तकर्ता– SSM
दिनांक– 21/08/19
क्र.सं.– 1183

D:\Joginder G 2017\Letter.doc

Scanned by CamScanner